प्रेषक,

03/2022/04/7-4-2021.

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 13 जनवरी, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 14,99,73,000/- लाख (रूपया चौदह करोड़ निन्यानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/760 दिनांक 29-10-2021 के साथ संलग्न अपने पत्र संख्या- पी0जी0आई0सी0एच0/एम0ओ0एस0/2021/143, दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में विभिन्न विभागों में उपकरणों के क्रय हेतु सूची अनुमोदित करते हुए मानक मद-26 मशीने सज्जा/उपकरण संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की कुल लागत रू0 14,99,73,000/- लाख (रूपया चौदह करोड़ निन्यानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र) के उपकरण क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के उपकरणों की क्रय किये जाने हेतु रू0 14,99,73,000/- लाख (रूपया चौदह करोड़ निन्यानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
4. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी /संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
6. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
7. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।
9. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
10. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र(क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।

12.वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13.क्रय किये जाने वाले उपकरण संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

14.धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

15.क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

16.संस्थान द्वारा उपकरणों की सूची में उल्लिखित जो उपकरण रू0 50.00 लाख से अधिक के है, को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17.उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्यकता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा संस्थान के निदेशक एवं वित्त अधिकारी का होगा।

18.प्रश्नगत उपकरणों को चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/125414/2021-71-1001/1703/2019-1, दिनांक 24.12.2021 द्वारा डा0 अविनाश अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति से उपकरणों के विशिष्टियों की उपयोगिता/गुणवत्ता/आवश्यकता को निर्धारित किये जाने के उपरान्त ही क्रय की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-70 सुपर स्पेशियलिटी बाल

चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय; उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं का परीक्षण कर उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की समेकित सूची

Proposed List of equipments for Financial Year 2021-2022						
S.No	Department	Equipment	Qty	Rate Per Unit	Approximate Cost	Mode of purchase
1	Hematology oncology	Biosafety cabinet Class II B type	1	Rs 8,00,000/-	8,00,000/-	GeM
2		Portable Digital Pulse, SPO2 and BP apparatus with stand	2	Rs. 4,000/-	8,000/-	GeM
3		Infusion Pump Tower	2	Rs 3,00,000/-	6,00,000/-	GeM
4		Volumetric infusion pump	4	Rs. 80,000/-	3,20,000/-	GeM
5	Anaesthesia	Ultrasound Machine	1	Rs 50,00,000/-	50,00,000/-	GeM
6		Anesthesia Work station	1	Rs. 60,00,000/-	60,00,000/-	GeM
7		Video laryngoscope with 6 blade	1	Rs 35,00,000/	35,00,000/-	GeM
8		Fabreoptic bronchoscope set (2.2mm) with video recording and light source	1	Rs. 35,00,000/-	35,00,000/-	GeM
9		Jet Ventilation	1	Rs. 2,00,000/-	2,00,000/-	GeM
10		Suction Machine	1	Rs 4,00,000/-	4,00,000/-	GeM
11		Patient shifting board	2	Rs. 25,000/-	50,000/-	GeM
12	Radiology	Direct Digital Flat Panel Fluoroscopy & Radiography System		Rs. 4 30,00,000/-	4,30 00,000/-	GeM
13	Transfusion Medicine	Deep Freezer (-40C)	1	Rs. 8,00,000/-	8,00,000/-	GeM
14		Apheresis Machine	1	Rs 40 00,000/	40,00,000/	GeM
15		Blood Donation Couch	1	Rs. 3,00,000/-	3 00,000/-	GeM
16		Table top Centrifuge	1	Rs 1,00,000/-	1,00,000/-	GeM
17		Regent Refrigerator	2	Rs 3 00,000/-	6,00,000/-	GeM
18		Platelets Agitator	1	Rs. 5 00,000/-	5 00,000/-	GeM
19		Refrigerated Blood Transport Box	2	Rs. 2 00,000/-	4 00,000/-	GeM
20	Neonatology	Neonatal Training Manikin (Resuscitation)	1	Rs. 60,000/-	60,000/-	GeM
21		Neonatal Intubation training Manikin	1	Rs 60,000/-	60,000/-	GeM
22		T piece resuscitator	1	Rs. 1.50 000/-	1.50,000/-	GeM
23	Biochemistry	Centrifuge Machine	2	Rs. 8,00 000/-	16.00,000/-	GeM
24		Refrigerator (+20 Degree Celcious)	1	Rs. 15,00,000/-	15.00.000/-	GeM
25	Microbiology	BOD Incubator	1	Rs. 10,00,000/-	10.00,000/-	GeM
26	Orthopaedics	Mobile C-Arm Machine	1	Rs 2,50,00 000/-	2,50,00.000/-	GeM
27		Elbow CPMPediatrics	1	Rs. 10.00,000/-	10,00,000/-	GeM
28		Radiolucent OT Table with orthopedics attachments	1	Rs. 80.00.000/-	80.00,000/-	GeM
29	Pediatric Surgery	Diathermy (Including vessel seal)	1	Rs. 7,50 000	7,50.000/-	GeM
30		Ped OT table	1	Rs. 25,00,000/-	25,00,000/-	GeM
31		Syringe pump	10	Rs 60,000/-	6,00,000/-	GeM
32		Surgical hand Instrument	1	Rs 30,00,000/-	30,00,000/-	GeM

33		Harmonic Scalpel	1	Rs 20,00,000/-	20,00,000/-	GeM
34	Cardiac Surgery	Nitrix oxide delivery system	2	Rs 10,00,000/-	20,00,000/-	GeM
35	ENT	Operating Microscope for ENT	1	Rs. 95,00,000/-	95,00,000/-	GeM
36		Endoscopy Sinus surgery Instument	1 set	Rs. 15,00,000/-	15,00,000/-	GeM
37		Tympanoplasty set &Mastoidectomy	1 set	Rs 5,00,000/-	5,00,000/-	GeM
38	Pathology	Research Microscope(Fluorescent microscope) with FISH & Karyotyping software	1	Rs 45,00,000/-	45,00,000/-	GeM
39		Fully Automated Coagulation analyzer	1	Rs 30,00,000/-	30,00,000/-	GeM
40		Tissue Homogenizer	1	Rs 3,00,000/-	3,00,000/-	GeM
41		Tissue embeddign system (automated with hot and cold plate)	1	Rs. 20,00,000/-	20,00,000/-	GeM
42		Magnetic stirrer	1	Rs 1,50,000/-	1,50,000/-	GeM
43		Deep frezzer(-40 Degree)	1	Rs. 10,00,000/-	10,00,000/-	GeM
44		Colorimeter	1	Rs. 1,00,000/-	1,00,000/-	GeM
45		Gross specimen photographywith image analyzer with computer system	01	Rs. 18,00,000/-	18,00,000/-	GeM
46	Opthalmology	Hand Held Perkins Tonometer	1	Rs. 1,50,000/-	1,50,000/-	GeM
47		Handheld Retcam	1	Rs 9 80,000/-	9 80,000/-	GeM
48		Handheld Autorefractokeratometer	1	Rs. 9,20,000/-	9,20,000/-	GeM
49		ND-yag laser	1	Rs. 17,50,000/-	17,50,000/-	GeM
50		Tellers preferential lookings charts	1	Rs. 1,25,000/-	1,25,000/-	GeM
51		High Definition OCT	1	Rs. 24,00,000/-	24,00,000/-	GeM
				Grand Total	**14,99,73,000/-**	

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन अधीन राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों मे समस्त इकाईयों पर ई-प्रोक्योरमेन्ट गर्वनमेन्ट ई-मार्केट के माध्यम से उपकरणों का प्रोक्योरमेन्ट किये जाने तथा निविदा प्रपत्रों व अनुबन्ध पत्र का मानकीकरण सुनिश्चित किये जाने तथा साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में क्रय किये जाने वाले उपकरणों की मानकीकृत तकनीकी विशिष्टियों को निर्धारित किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-2619/71-1-2020-जी-307/2017, दिनांक 10.07.2021 द्वारा डा0 एस0 के0 अग्रवाल, आचार्य, सी0टी0वी0एस0, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

2- सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2619/71-1-2020-जी-307/2017, दिनांक 10.07.2021 द्वारा डा0 एस0 के0 अग्रवाल, आचार्य, सी0टी0वी0एस0, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1	डा0 अविनाश अग्रवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	डा0 भुवन चन्द्र तिवारी, सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, डा0 आर0एम0एल0 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	सदस्य
3.	डा0 देवेन्द्र गुप्ता, आचार्य, एनेस्थीसियोलॉजी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य
4.	सुश्री वत्सला शिवम, वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य
5.	डा0 श्रीष सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।	सदस्य
6.	डा0 हिमांशु कुमार, सहआचार्य, मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य
7.	श्री प्रकाश सिंह, संयुक्त निदेशक, मैटीरियल मैनेजमेन्ट, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य

2- उक्त समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं विशिष्टियाँ, जो समिति तय करें, आदि का दायित्व इस समिति का होगा।

Signed by आलोक कुमार
Date: 23-12-2021 13:17:29
Reason: Approved

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा/ डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/गर्वनमेन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा/ सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा/ सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. प्रधानाचार्य, समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।